प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 256/22 दिनांक 28/6/2022

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें ..... 7ए .....
(ii) अधिनियम.....भा.द.स.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....534..... समय .....6.10 PM.....
(ख) अपराध घटने का दिन ..शुक्रवार.. दिनांक :– 18.02.2022 समय ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– मकराना जिला नागौर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 100 किलोमीटर
(ब) पता :– नगर परिषद मकराना जिला नागौर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री सुरेश चौधरी
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री नानूराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष :–24 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी भाकरो की ढाणी, मकराना जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री कमल किशोर पुत्र श्री प्रभात सिंह मुण्डेल, निवासी मुण्डेलों की ढाणी सबलपुर बेसरोली नागौर (प्राइवेट व्यक्ति)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 30,000 रूपये .....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2022 को परिवादी सुरेश चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर 9829500967 से मन् उप अधीक्षक जाकिर अख्तर को कॉल कर अपनी आवासीय भूमि का पट्टा बनाने के लिये श्री कमल फायरमैन एवं जेईएन प्रियंका नगरपालिका मकराना जिला नागौर द्वारा रिश्वत मांगने तथा उनको रिश्वत नहीं देकर उसे पकडवाने की कही। परिवादी ने दिनांक 18.02.2022 को कस्बा मकराना पहूँच अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस जाकिर अख्तर मय श्री रामनिवास कानि. एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक मय ट्रेप बाक्स एवं आवश्यक सामान के जरिये सरकारी वाहन के परिवादी के चाहेनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु समय 7.00 एएम पर सीकर से रवाना होकर सरकारी अस्पताल के पास कस्बा मकराना पहूँचा जहॉ परिवादी सुरेश चौधरी पुत्र श्री नानूराम चौधरी, जाति जाट, निवासी भाकरों की ढाणी मकराना जिला नागौर. अपनी मोटरसाईकल के मौजूद मिला। परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "निवेदन है कि

मकराना में मेरे घर का तथा मेरे मामाजी जगदीशजी, मीना देवी के अलग–अलग पट्टे बनाने हेतु मैने तीनों पट्टो की फाईल माह दिसम्बर 2021 में नगरपालिका मकराना में जमा करवा दी थी इसके बाद मैने पट्टो के संबंध में श्री कमल फायरमैन से बात की तो उसने कहा पट्टे बनवाने के लिये पैसे लगते है तथा कहा कि आपके प्रत्येक पट्टे के पौच हजार रूपयों के हिसाब से रूपये 15000 लगेगे, मेरी मैडम जेईएन व बाबू राहूल से जान पहचान है इसके बाद में मैडम प्रियंका जेईएन एवं बाबू राहूल से मिला तो उन्होने पॉच हजार रूपये प्रति पट्टे के हिसाब से रूपये देने की कही। मै उपरोक्त सभी को रिश्वत देना नहीं चाहता रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही करें'' मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने श्री कमल फायरमैन एवं जेईएन प्रियंका नगरपालिका मकराना जिला नागौर द्वारा उसके तथा उसके परिजनों के कुल तीन पट्टे बनवाने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग करने की कही। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताते हुये आरोपीगण से कोई पूर्व को उधार लेनदेन एवं कोई रंजीश नहीं होना बताया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला रिश्वत की लेनदेन का बनना पाये जाने पर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लैपटाप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर कानि. एवं परिवादी को नगरपालिका मकराना की तरफ परिवादी की मोटरसाईकल से रवाना किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के अस्पताल के पास वाहन में ही मुकिम हुआ। उसी दिन बाद सत्यापन परिवादी सुरेश चौधरी एवं श्री रामनिवास कानि. उपस्थित आने पर श्री रामनिवास कानि. ने टेप रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि ''नगरपालिका के पास पहूँच मैने टेप रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा उसके कार्यालय से बाहर आने पर टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर लिया। परिवादी ने बताया कि ''नगरपालिका में जाकर मैने श्री कमल फायरमैन से बात की तो उसने मेरा पट्टा तथा मेरे मामाजी के दो पट्टे बनवाने हेतु 15000 रूपये रिश्वत की देने की कही। परिवादी ने प्रियंका जेईएन नगरपालिका में मौजूद नहीं मिलने के कारण कुछ देर पश्चात उसके नगरपालिका में आने पर उससे वार्ता करने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि होती है।

तत्पश्चात परिवादी सुरेश चौधरी द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन श्री कमल फायरमैन नगरपालिका मकराना जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं कार्यालय स्टाफ के गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी ने स्वंय की व आरोपी श्री कमल फायरमैन नगरपालिका मकराना जिला नागौर की आवाजों की पहचान की। मेमोरी कार्ड में टेप वार्तालाप को लैपटॉप में डाउनलोड कर दो सीडी तैयार की गई। मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडें की थैली में डलवाकर मार्क ''ए'' से सील्ड कर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही कार्यालय के लेपटॉप पर वाहन में ही की गई तथा पेन ड्राईव की सहायता से प्राईवेट दूकान के प्रिन्टर से कागजात के प्रिन्ट निकलवाये गये।

तत्पश्चात परिवादी सुरेश चौधरी ने अपने स्तर पर प्रियंका जेईएन का मालूमात कर बताया कि आज प्रियंका नगरपालिका में नहीं आयेगी। परिवादी ने आईन्दा प्रियंका जेईएन से वार्ता करने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के रवाना होकर सीकर पहूँचा। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कई बार अलग–अलग दिनांक को परिवादी सुरेश चौधरी से मोबाईल पर सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही गई तो परिवादी ने स्वयं के निजी कार्य में व्यस्त होना बताया। दिनांक 25.03.2022 को पुनः जरिये दूरभाष परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने आरोपी श्री कमल फायरमैन नगरपालिका मकराना जिला नागौर को शक होने के कारण प्रियंका जेईएन द्वारा उससे बातचीत नहीं करने की कही तथा ईओ का भी स्थानान्तरण होना बताया। परिवादी ने बताया कि श्री कमल फायरमैन एवं प्रियंका जेईएन को

मेरे पर शक हो गया है, अब वह मेरे से रिश्वत की मांग नहीं करेगें तथा फायरमैन कमल भी मेरे से रिश्वत नहीं लेगा। परिवादी ने अग्रिम कार्यवाही करवाने से मना किया।

ऐसी स्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं की जा सकी। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से मांग की गई रिश्वती राशि के क्रम में परिवादी द्वारा आरोपी कमल फायरमैन से पट्टो के संबंध में वार्ता करने पर आरोपी कमल फायरमैन के कथन कि " **मै जगदीश न क्लियर कहयो कि भाई पॉच–पॉच हजार रूपया मैडम खावली, पॉच–पॉच हजार रूपया ईओ खावलो, तीस हजार रूपया तो पाका ही थाकें लागना है रिश्वत का, एक ही चीज है, पहले हमारे को दो फिर हम आगे काम करेगें**" आदि कथनों से आरोपी कमल फायरमैन द्वारा परिवादी से 30,000 रूपये रिश्वत मांग की पृष्टि होती है।

तत्पश्चात आयुक्त नगरपरिषद मकराना जिला नागौर को आरोपी का सेवा विवरण हेतु लिखा गया, जिस पर आयुक्त नगरपरिषद मकराना ने जरिये पत्रांक 6959 दिनांक 31.03.2022 से कमल फायरमैन नाम का कोई व्यक्ति/कार्मिक का पदस्थापित नहीं होना बताया। उक्त कमल नाम के व्यक्ति के संबंध में मालूमात किया गया तो जिस कमल नाम के व्यक्ति द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की गई है, वह नगरपरिषद मकराना में कोई कार्मिक/लोकसेवक नहीं होकर श्री कमल किशोर पुत्र श्री प्रभात सिंह मुण्डेल, निवासी मुण्डेलों की ढाणी सबलपुर बेसरोली नागौर का रहने वाला तथा न्यू बालाजी इलेक्ट्रीक एण्ड पेन्ट्स बोरावड नाम से फर्म होना तथा स्वयं की गाडी स्वीफ्ट नं. आरजे–37 टीए–0951 को वर्ष 2018 से नगरपरिषद मकराना जिला नागौर में संविदा पर लगाया जाना पाया गया है।

प्रकरण में परिवादी सुरेश चौधरी ने अपने प्रार्थना पत्र में श्री कमल फायरमैन नगरपालिका मकराना जिला नागौर के व्यक्ति द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना अंकित किया है तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में भी परिवादी द्वारा पूछने पर कमल नाम के व्यक्ति द्वारा अग्नीशमन में इलेक्ट्रीक गाडी लगे होना बताया है। परिवादी द्वारा सत्यापन वार्ता में यह भी पूछा गया कि आप गोवर्मेंट में हो क्या ? जिस पर कमल नाम के व्यक्ति ने संविदा पर होना बताते हुये 7–8 हजार रूपये मिलने की बात परिवादी को कही गई है।

इस प्रकार की गई उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री कमल किशोर द्वारा नगर परिषद का कार्मिक न होते हुये भी परिवादी सुरेश चौधरी से उसके एवं उसके मामाजी श्री जगदीश के पट्टे बनाने के लिये प्रियंका जेईएन एवं ईओ नगरपालिका मकराना जिला नागौर के नाम से प्रत्येक के लिये प्रति पट्टा पॉच–पॉच हजार रूपये के हिसाब से कुल तीनों पट्टो के 30,000 रूपये रूपये बतौर परिवादी से रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री कमल किशोर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के दण्डनीय है।

अतः आरोपी श्री कमल किशोर पुत्र श्री प्रभात सिंह मुण्डेल, निवासी मुण्डेलों की ढाणी सबलपुर बेसरोली नागौर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(जाकिर अख्तर)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जाकिर अख्तर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कमल किशोर पुत्र श्री प्रभात सिंह, मुण्डेल, निवासी मुण्डेलों की ढाणी सबलपुर बेसरोली, नागौर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 256/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2254-57 दिनांक 28.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

28.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।